Azadi Ka Amrit Mahotsav

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

निम्नलिखित कार्मिकों को पीएच.डी करने की अनुज्ञा स्थाई निर्देश क्रमांक: शिविरा–माध्य/निजी /निर्देश/2019 दिनांक 13.06.2022 के क्रम में एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है :–

क्र.स.	नाम एवं पद	पदस्थापन स्थान	पीएच.डी. विषय	विश्वविद्यालय का नाम
1	राम कुमार सुड्डा प्राध्यापक–जीवविज्ञान	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबड़ी, ब्लॉक भादरा जिला हनुमानगढ	वनस्पति विज्ञान	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर
2	मुकेश खलदानिया प्राध्यापक–इतिहास	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राखी ब्लॉक समदड़ी जिला बाड़मेर	इतिहास	महर्षि दयानन्द सरस्वति विश्वविद्यालय– अजमेर
3	ममता प्राध्यापक–हिन्दी	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पक्का भादवा ब्लॉक व जिला–हनुमानगढ	हिन्दी	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर

1. पीएच.डी. स्वयं के खर्चे पर ही करनी होगी।
2. पीएच.डी. करने के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रार्थी के द्वारा सर्वेक्षण/प्रयोग करने के लिए नियमानुसार स्वयं का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते विद्यालय व्यवस्था में विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
3. पीएच.डी. शोध कार्य के दौरान कर्त्तव्य निर्वहन में विपरीत प्रभाव पड़ने पर अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।
4. अनुज्ञा दिनांक से एक वर्ष की अवधि में यदि पीएच.डी. पंजीयन नहीं होता है, तो अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
5. पाठ्यक्रम की वैधता नहीं होने की स्थिति में अथवा मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा।
6. पीएच.डी. की उपाधि प्रदत्त होने पर शोध सारांश एवं उपाधि की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
7. यह अनुज्ञा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए) न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम–2016" का संबंधित विश्वविद्यालय एवं कार्मिक द्वारा पालन किये जाने के अध्यधीन जारी की जा रही है।
8. उक्त अनुज्ञा दिए जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानांतरण किया जा सकता है।

(रमेश कुमार हर्ष)
उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/शोध/पीएच.डी./अनुज्ञा/34265/VOL-2/2022/871 दिनांक : 16.08.2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. रजिस्ट्रार–महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर/ महर्षि दयानन्द सरस्वति विश्वविद्यालय–अजमेर ।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर एवं बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा,, हनुमानगढ, बाड़मेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक, हनुमानगढ, बाड़मेर। ।
5. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा,,ब्लॉक भादरा जिला हनुमानगढ/ ब्लॉक समदड़ी जिला बाड़मेर / ब्लॉक व जिला–हनुमानगढ।
7. संबंधित प्राचार्य...
8. संबंधित कार्मिक ....
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Ramesh Kumar Harsh
Designation : Deputy Director
Date: 2023.08.16 16:17:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4513487